पृष्ठ	क	 f	
		1 -	

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. . 937 - / व्याप्र-/16

tures of	
	विषय: - न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. कमांक 68/9/15-
	डॉ०/श्रीमती
	डॉ०/ <del>श्री पती क्वित क्व</del>
	-0-
	से याचिका डब्ल्य पी क्रमांक करें ८ २० ८ १६
	मय सहपत्रों के प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध 5) 8000 - विरा
	से याचिका डब्ल्यू.पी. कमांक क्रि- (819/15) मय सहपत्रों के प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध 50 कि कि विकास से है।
	अंकरण में अभारा अधिकारों का नियक्ति की जाना है। क्रपेया प्रभारी अधिकारी
	का नाम निर्देशित करना चाहे। आदेशार्थ
	एम्.ओ.
A.	05\$ Ad 3001 5 7 m 1 30 VEISO19
۳,	05) Ad 305/1 5) 3 mm of 30 Verasing
(2)	ances +
101	
7.6	Del 11,
	1202/16
	प्रभावी उपाद्मिला की क्रिकिट कार्डिश की क्राह्म प्रथिमां स्क्रमानुष्टाच्ये प्रक्रमा । राज्यों स्थामा कार्युक्तमी की क्राह्म अस्क्रम
TIM	and stand to lead on the date
12/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2	भीतेमा स्थितानियाचा प्रभावती
121	as In horself tribes here
31	राज्यी द्वाचा आव्याता कर्म वर्णा अहिल
	, वाकरा याके
9	
礼	किन्निहरण कार्य,
`	09) Ad 3009 at 9m1).
11/1	, किलामरी बनार्थ जाने वह
3/3	
60%	30 100
2/	Payar Ami
0 .	28/02/12
1	2982
Mon	10 418 19
2/3	250140 24100 16

үю ж...... 2....

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक 237 / 1914

All Dar (300 21/201) Yarro 211-2010) Billiama Biblia Silan cum leve गाट हा निरुष काष्ट्रिया काष्ट्रिया काष्ट्रिया करें केंद्र मन्या Lake Balon and syla sylar auser ung 3154345 ांग्रा6 र्भया अतिर्क्षण अमरेश साम करने टुट क्षा नास्ती विधि - विभाग न्डी आरे 300 म र्या नार्टी सचिव / आयुक्त म.प्र. बारान, उच्च शिक्षा वि

ZX /

) शाकेमुभी—225—आउशिभी—3-8-15—50,000.

कमांक पाठ १३३७ / 11 पा पा पाय विद्याल १८०० वर्ग अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आति। प्रस्त अस्ताहरूस नियम-1 तथा
3000 अभिकाण अभिकाण कर्मक पारित असी। अधिकाण कर्मक पारित विकास अधीव अधीव वर्मक

(details, ay with) 21. 3119. 50. MIL 910100 21501/KY

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारों को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरंदायित्वों के अतिरिवत वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की, आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मानले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिनाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- 2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- 4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगाः—

1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप ।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

प्रस्तुत किया जाना है। 4/ मामले विश्वीकरण के लिये आवश्यक कांगज पत्रों की प्रतियों में चाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैद अवगृत रखेगा ।

त प्रक्रम और संविधा निर्मा ने विधा निर्मा को स्था मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की शय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

- 9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्रान्त करनें ,रिपोर्ट बनानें, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नध्ट न हों ।
- 10/ जैसे ही उन्ने अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद भार देने के प्रश्चात् भी तब तक प्रभारी आधेकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।
- 11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक
- 12 / महत्वंपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।
- 13 / जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मानलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघातिशीघ आवेदन दायर कर विलोपित करवायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सम्बद भारति भाषाल, उच्च शिक्षा विमाग भारति मंत्रालय, भोपाल १८ भोपाल, दिनांक 27-2-16

पृ०व-० 23) उशिवि / गंत्रालय / न्याप्र / (६.

1/ महाधियवता, उच्च न्यायालय म०प्र० जयलपुर/इन्दोर/ग्वालियर सभाग म.प्र. की और । 2/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष अप्राप्ति (१०५) भागारी अधिकारी की और अग्रेपित । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और अधिवक्ता से आग की कार्यवाही के लिये सलाह करने और गामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायें, मामले की सुनवाई की तारीख़ की की प्रति इस सुनवाई हतु नियत की गई थीं / हैं ।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संघालक . उच्च शिक्षा .... की आर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु ।

> सचिवः, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विनागं नेत्रालय, भोपाल

181416

and calory against company.

All rolling and the solid and

WASS 6819]

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

W.P No.

PETITIONER

Dr. R.K. Verma

-Versus-

RESPONDENTS

State of M.P. and others list alongwith wor 6820/15

INDEX after two weeks.

S.No.	Description of the documents	Annexure	Page Nos. From to	
	11-12-15- (520 27)	and all		
1.	Index 14/12/15 1/2	0 11		-
2.	List Chronological events	· 69 A	2	-
3.	Writ Petition 13-1-16 — (CT	66) A	DARIO	0.A0 p
4.	Affidavit	00 V	DOBICE	7.000
5.	List of Documents	retitionne	10	ston, 15/6/1
6.	copy of the letter dated 12.08.13	P/1	12	Ston, 197011
7.	Copy of the complaint dated 27.03.14	P/2	13	
8.	copy of the complaint dated 28.03.14	P/3	14	
9.	copy of the complaint dated 09.04.15	P/4	15	
10.	Copies of the complaint dated 09.04.15	P/5		7
11.	Copy of the letter dated 15.04.15	P/6	18	1
12.	copy of the application dated 27.04.15	P/7	19	
13.	Copy of the letter dated 28.04.15	P/8		_
14.	copy of the application dated 15.06.15	P/9	20	
15.	copy of the application dated 11- 13/07/15	P/10	21	
16.	Vakalatnama		22	-

=NUOR E

DATED:

28/09/15

## कार्यालय प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर जिला - शाजापुर (म.प्र.)

11-216milen

E - Mail - hegjnscshushg@mp.gov.in

फोन नं. - 07360-244358

शुजालपुर दिनांक.

प्रति,

उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल । अशासकीय आवक : 93

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-6819 2015 (डॉ. आर.के.वर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य का जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु O.I.C. नियुक्त करने बावत्।।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है, कि इस महाविद्यालय में कार्यरत डॉ. आर.के.वर्मा सहा. प्राध्यापक वाणिज्य के द्वारा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्र WP-6819 / 2015 का जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी (O.I.C.) नियुक्त करने की कृपा करे जिससे की समयाविध में जवाब शासकीय अधिवक्ता से तैयार करवा कर प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न:- याचिका की छायाप्रति

( डॉ. विनोद देशमुख ) प्राचार्य शास.जे.एन.एस.पी.जी.महाविद्यालय थुजालपुर जिला - शाजापुर

प्र.कं./1945./स्था. १ ६

VI VII

शुजालपुर दिनांक - 30 1 - 1.6

प्रतिलिपि :-

माननीय महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर। आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन ५वी मंजिल भोपाल । अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन।

( डॉ. विनोद देशमुख )

Shujalpur (M.P.)

Letter No(3) - 140

ADVOCATE FOR THE PETITIONER